

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 180/2018

अनवान :

1. जसवन्त सिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. दारासिंह सहू पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. दलीप कुमार पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्णलाल पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. इन्द्रावती पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. दिलावती पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. आईसीआईसीआई शाखा करनपुरा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड  
दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसरा: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 6.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के वर्तमान खाता संख्या 21/21 के मु.न. 47 के किला नं. 17 ता 24 की 1.669 हैक्टर मु.न. 50 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 51 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15, 17 की 2.087 हैक्टर मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 10 की 0.469 हैक्टर कुल कित्ता 25 की 5.237 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचपी के ही वर्तमान खाता संख्या 22/22 के मु.न. 50 किला नं. 9 ता 12, 19, 20 कुल कित्ता 6 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 55/47 के मु.न. 39 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी

हाल संलग्न बाद है। यही बिनाय दावा है।

R/w  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़



वादभूमि पहले वादी के दादा चुन्नीराम की खातेदारी हुआ करती थी। चुन्नीराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर अर्थात् 1/7-1/7 हिस्सा के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु प्रतिवादी झिण्डुराम कर्ता खानदान होने के चलते कुल वादभूमि तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली। वादभूमि दादालाई जमाबंदी सम्वत 2016 संलग्न वाद है। जिससे साफ रोशन है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादभूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पक्ष में तर्क अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिससे कुल वादभूमि जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी झिण्डुराम के हिस्सा में 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी। तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के वर्तमान खाता संख्या 21/21 के मु.न. 47 के किला नं. 17 ता 24 की 1.669 हैक्टर मु.न. 50 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 51 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15, 17 की 2.087 हैक्टर मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 10 की 0.469 हैक्टर कुल किता 25 की 5.237 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचपी के ही वर्तमान खाता संख्या 22/22 के मु.न. 50 किला नं. 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 6 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 55/47 के मु.न. 39 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादी जसवन्त सिंह एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम

Rw  
उपस्थित अधिकारी (राज्य)  
जिला मिला-हनुमानगढ़



1/7 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 इन्द्रावती व दिलावती का वादभूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदनुसार दुरुस्त किया जावे।

प्रतिवादी झिण्डुराम ने वादभूमि को आईसीआईसीआई शाखा करनपुरा के रहन करवा रखी है जिसके चलते उक्त बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबंधक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है तथा में वादी ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिये पेश किया है जिसमें लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी सं. 8 ने अपना जवबदावा पेश किया तथा वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 7 को फोरमल पक्षकार होने के कारण तर्क किया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में जसवन्त सिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 2 बीएचपी खाता संख्या 21/21 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 2 बीएचपी खाता संख्या 22/22 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 3 केआरपी खाता संख्या 55/47 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 2 बीएचपी के खाता संख्या 20 सम्वत 2016 प्रदर्श 4, व जमाबंदी खाता संख्या 4 चक 2 बीएचपी सम्वत 2016 प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 3 केआरपी खाता संख्या 25 सम्वत 2016 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत करनपुरा द्वारा जारी जो प्रदर्श 7, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 2 बीएचपी के वर्तमान खाता संख्या 21/21 के मु.न. 47 के किला नं. 17 ता 24 की 1.669 हैक्टर मु.न. 50 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 51 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15, 17 की 2.087 हैक्टर मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 10 की 0.469 हैक्टर कुल किला 25 की 5.237 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचपी के ही वर्तमान खाता संख्या 22/22 के मु.न. 50 किला

3/20  
उपस्थित अधिकारी  
जिला-हनुमानगढ़



नं. 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 6 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 55/47 के मु.न. 39 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादी जसवन्त सिंह एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम 1/7 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 इन्द्रावती व दिलावती का वादभूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था,

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के वर्तमान खाता संख्या 21/21 के मु.न. 47 के किला नं. 17 ता 24 की 1.669 हैक्टर मु.न. 50 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 51 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15, 17 की 2.087 हैक्टर मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 10 की 0.469 हैक्टर कुल किता 25 की 5.237 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचपी के ही वर्तमान खाता संख्या 22/22 के मु.न. 50 किला नं. 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 6 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 55/47 के मु.न. 39 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादी जसवन्त सिंह एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम 1/7 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी जसवन्त सिंह व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...6:9:18... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 180/2018

अनवान :

1. जसवन्त सिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

### बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. दारासिंह सहू पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. दलीप कुमार पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्णलाल पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. इन्द्रावती पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. दिलावती पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. आईसीआईसीआई शाखा करनपुरा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड

दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.


आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के वर्तमान खाता संख्या 21/21 के मु.न. 47 के किला नं. 17 ता 24 की 1.669 हैक्टर मु.न. 50 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 51 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15, 17 की 2.087 हैक्टर मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 10 की 0.469 हैक्टर कुल कित्ता 25 की 5.237 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता खातेदारी प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीएचपी के ही वर्तमान खाता संख्या 22/22 के मु.न. 50 किला नं. 9 ता 12, 19, 20 कुल कित्ता 6 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी व चक 3

7/10  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)  
भादरा जिला - राज.

केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 55/47 के मु.न. 39 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादी जसवन्त सिंह एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम 1/7 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं० 5 व 6 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं० 5 व 6 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी जसवन्त सिंह व प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 दारासिंह, दलीप कुमार, कृष्णलाल को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 झिण्डुराम को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...6:9:18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी की गई।



  
(राजकुमार कश्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
भादरा, जिला हनुमानगढ़